तुर्की-अजरबैजान में ऑपरेशन सिंदूर!

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चार दिवसीय दौरे पर आर्मेनिया पहुंचे

येरेवन/नई दिल्ली,02 फरवरी. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का खुला समर्थन करने वाले तुर्की और अजरबैजान को भारत ने रणनीतिक जवाब देने की तैयारी कर ली है.

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान चार दिवसीय दौरे पर आर्मेनिया पहुंचे हैं, जहां भारत के साथ रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई देने पर चर्चा होनी है . ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के सेना की पहचान विश्व के देशों में ताकत के रूप अब होने लगी है. पिनाका के बाद ब्रह्मोस मिसाइल डील की संभावना ने तुर्की और अजरबैजान की चिंता बढ़ा दी है. येरेवन-भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय भारतीय सैन्य प्रतिनिधिमंडल चार दिवसीय आधिकारिक दौरे पर आर्मेनिया पहुंचा है. यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की और अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान को दिए गए समर्थन के बाद क्षेत्रीय समीकरण तेजी से बदल रहे हैं.

रक्षा रिश्तों में नई धार

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान चार दिवसीय आधिकारिक दौरे पर आर्मेनिया पहुंचे हैं. येरेवन में भारतीय सैन्य प्रतिनिधिमंडल का स्वागत आर्मेनियाई सैन्य नेतृत्व ने किया, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास का संकेत है. भारत ने आर्मेनिया को गाइडेड पिनाका रॉकेट्स की पहली खेप भेजी है, जिससे यह देश इस स्वदेशी मल्टी-बैरल रॉकेट सिस्टम का पहला निर्यात ग्राहक बना. ऐसे समय में यह दौरा रक्षा तकनीक, संयुक्त प्रशिक्षण, और दीर्घकालिक सुरक्षा सहयोग को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है.

तीन दिन की अमेरिका यात्रा पर रहेंगे जयशंकर

नई दिल्ली. विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर सोमवार से तीन दिन की अमेरिका यात्रा पर रहेंगे. विदेश मंत्रालय ने बताया कि डा जयशंकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के निमंत्रण पर अमेरिका जा रहे हैं . वहां वह श्री रूबियो द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में बुलाई गयी विशेष बैठक में हिस्सा लेंगे. इस बैठक में आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, स्वच्छ ऊर्जा व खनिजों में रणनीतिक संचालन जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा की जायेगी. भारतीय विदेश मंत्री अपनी यात्रा के दौरान अमेरिकी प्रशासन के अनेक वरिष्ठ सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे.

ट्रम्प को ईरान के साथ समझौते की उम्मीद

तेहरान/वाशिंगटन, 2 फरवरी. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के साथ समझौता होने की उम्मीद जताई है, जबकि ईरान के नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका कोई भी टकराव शुरू करता है तो वह क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है.

श्री ट्रम्प ने फ्लोरिडा के पाम बीच पर अपने मार-आ-लागो आवास से कहा कि अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में भले ही अपने युद्ध पोत तैनात किये हैं लेकिन वह इस समस्या का कूटनीतिक हल चाहता है. श्री ट्रम्प ने कहा-हमने वहां दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर युद्ध पोत तैनात किये हैं. उम्मीद है कि आने वाले दो दिनों में हम कोई समझौता कर लेंगे.

कार्यालय नगर पालिक निगम बुरहानपुर
निविदा सूचना 2025-26

निविदा सूचना क्र / पी.डब्लू.डी / 2025-26 /24 बुरहानपुर दिनांक : 02/02/2026

नगर पालिक निगम बुरहानपुर द्वारा ऑनलाइन पोर्टल https://mptenders.gov.in टेण्डर आमंत्रित किये जाते है। टेण्डर का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः

क्र.	टेण्डर आई.डी.नं.	कार्य का नाम व स्थान	कार्य की समयावधि एवं लागत रू.	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी
1	2026_UAD_479450_1	Construction of Pedastal for Dr. Baba Saheb Bheemrao Ambedkar ji Statue at Sagar Tower Lalbag	2 माह 2.55 लाख	2,000/- 2,600/-	18-02-2026

ऑनलाइन क्रय एवं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि As per key Date, कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है। उपरोक्त निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है, तो वेबसाइट पर ही दिखाई देगा।

कार्यपालन यंत्री
वास्ते आयुक्त
नगर पालिक निगम बुरहानपुर

केजरीवाल ने शांति-करुणा के लिए की प्रार्थना

गोवा, नई दिल्ली 02 फरवरी. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा दौरे के दौरान कलांगुट स्थित सेंट एलेक्स चर्च में प्रार्थना कर शांति, करुणा और समावेशी विकास के लिए आशीर्वाद लिया.

केजरीवाल ने अपने संदेश में समाज में आपसी भाईचारे और सद्भाव के महत्व पर जोर दिया.

गोवा के कलांगुट स्थित सेंट एलेक्स चर्च का किया दौरा

केजरीवाल ने रविवार को गोवा के कलांगुट स्थित सेंट एलेक्स चर्च का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने शांति, करुणा और समावेशी विकास के लिए प्रार्थना की.

अयोध्या में अब पास के जरिए ही हो सकेंगे दर्शन

अयोध्या, 02 फरवरी. अयोध्या राम मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं की लंबे समय से यह इच्छा रही है कि परिसर में बने सभी देवी-देवताओं और ऋषि-मुनियों के मंदिरों के दर्शन कब से शुरू होंगे. अब राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है. राम मंदिर ट्रस्ट ने दर्शन व्यवस्था में बदलाव करते हुए 15 फरवरी से संपूर्ण दर्शन शुरू करने की रूपरेखा तैयार कर ली है, जिससे श्रद्धालु पूरे मंदिर परिसर के दर्शन कर सकेंगे. अयोध्या राम मंदिर में अब पास के जरिए भी भक्त दर्शन कर सकते हैं।

IDBI BANK

क्षेत्रीय कार्यालय, 16-सी, ओमनी पेलेस, रतलाम कोठी, मेन रोड, इन्दौर-452001,
फोन: 0731-6679152, 99607 14961, 98260 81279

नियम 8 (1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि,

अधोहस्ताक्षरकर्ता आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्न निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का नियम 54) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता **श्री अशोक सिंह (उधारकर्ता एवं बंधककर्ता), श्री दिलीप सिंह (सह-उधारकर्ता एवं बंधककर्ता) एवं श्रीमती सुनीता सिंह (सह-उधारकर्ता एवं बंधककर्ता)**को **दिनांक 18.10.2025** को एक मांग नोटिस जारी किया एवं नोटिस में वर्णित **राशि रुपये 15,53,534 (रु. पंद्रह लाख तिरेपन हजार पांच सो चौतीस मात्र)** एवं दिनांक 10.08.2025 से उस पर देय ब्याज एवं अन्य खर्च बैंक की नीति के अनुसार नोटिस दिनांक से 60 दिन की समयावधि में भुगतान करने हेतु नोटिस दिया था।

चूंकि उक्त उधारकर्ता एवं बंधककर्ता उल्लेखित राशि अदा करने में असफल रहे है, अत: उधारकर्ता एवं बंधककर्ता को विशेष रुप से एवं जनता को सामान्य रुप से सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमवली, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 13 की उप-धारा (4) में निहित अधिकारों के प्रत्यायोजन स्वरुप नीचे उल्लेखित संपत्ति पर **दिनांक 29 जनवरी 2026** को कब्जा (सांकेतिक) ले लिया है ।

उधारकर्ता एवं बंधककर्ता को विशेष रुप से एवं आम जनता को सामान्य रुप से एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि अब इस संपत्ति पर कोई व्यवहार नहीं करें तथा इस संपत्ति पर किया गया कोई भी व्यवहार **राशि राशि रुपये 15,53,534 (रु. पंद्रह लाख तिरेपन हजार पांच सो चौतीस मात्र)** की राशि तथा उस पर ब्याज एवं अन्य खर्चे बाबत् **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ता एवं बंधककर्ता को एक्ट की धारा 13 की उपधरा 8 के प्रावधानों के अन्तर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मोचन में उपलब्ध समय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्तियों का विवरण

संपत्ति के सभी प्रमुख अंग प्लाट नं. डी-9 में शामिल जमीन एवं भवन का का पूरा भाग, रॉयल टाउन कॉलोनी, ग्राम महू गांव, तहसील महू एवं जिला इन्दौर (म.प्र.) 453441, **क्षेत्रफल: प्लाट 1000 वर्गफीट, चर्तु:सीमा: उत्तर:** प्लाट नं. डी-08, **दक्षिण:** प्लाट नं. डी-10, **पूर्व:** कॉलोनी की सड़क, **पश्चिम:** प्लाट नं. डी-03, जिस पर मौजूद और भविष्य में बनने वाली सभी ढांचों एवं निर्माणों के साथ।

स्थान : इन्दौर **प्राधिकृत अधिकारी,**
दिनांक: 03.02.2026 **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड**

मेनोपॉज के लक्षणों को अनदेखा न करें

मेनोपॉज सोसाइटी का पदस्थापना समारोह आयोजित

नागपुर, 02 फरवरी. मेनोपॉज सोसाइटी नागपुर का पदस्थापन समारोह रविवार, 1 फरवरी 2026 को होटल सेंटर पॉइंट, रामदासपेठ, नागपुर में गरिमामय वातावरण में हुआ.

इस अवसर पर अनेक वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित चिकित्सक उपस्थित थे. डॉ. प्रगति खलतकर को 2025-27 कार्यकाल के लिए अध्यक्ष तथा डॉ. भक्ति गुर्जर को मानद सचिव के रूप में औपचारिक रूप से पदस्थापित किया गया. समारोह की मुख्य अतिथि डॉ. ज्योति जयस्वाल (सचिव जनरल-इलेक्ट, इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी) रहीं. इसके पश्चात अध्यक्षीय भाषण रिडिफाइन मिडलाइफ डॉ. प्रगति खलतकर द्वारा प्रस्तुत किया गया. उन्होंने कहा कि मेनोपॉज के दौरान होने वाले लक्षण जैसे मूड स्विंग, हॉट फ्लैशेज, शरीर में दर्द, अवसाद, थकान, कमजोरी एवं अनिद्रा जैविक कारणों से होते हैं, न कि केवल मनोवैज्ञानिक कारणों से. हार्मोन की कमी महिला के व्यवहार, जीवन एवं पारिवारिक वातावरण को प्रभावित करती है. उन्होंने परिवारजनों एवं विशेषकर पति को भी परामर्श प्रक्रिया में शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा लक्षणों को हल्के में न लेने की अपील की.

कार्यालय कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग वि. / यां. संभाग, (ओल्ड पलासिया) इंदौर

E-mail ID:- eepwdelecind@mp.nic.in

निविदा आमंत्रण सूचना कं. 69 / व.ले.लि. / वि.यां/ 25-26 इंदौर दिनांक 27/01/26

:: निविदा विज्ञप्ति ::

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग में उचित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यों हेतु प्रपत्र 2.10 पर निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। निविदाएं पंजीकृत डाक (ए.डी.) / स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही प्राप्त की जावेगी। विभाग पोस्टल विलंब के लिये जिम्मेदार नहीं होगा।

कं.	कार्य का नाम व स्थान	निविदा प्रपत्र की राशि	ठेके की अनुमानित राशि	अमानत राशि	कोरे निविदा प्रपत्र विकय का दिनांक एवं समय	1. निविदा प्राप्ति का दिनांक, समय एवं कार्यालय	1.निविदा खोलने का दिनांक, समय एवं कार्यालय	1.कार्य पूर्ण करने की अवधि 2.ठेकेदार की श्रेणी 3.आमंत्रण क्रं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	विधानसभा क्षेत्र क. 4 के अंतर्गत 1 स्थान पर पेयजल हेतु पूर्व में खनित नलकूप खनन से जी.आई. पाईप लाईन डालने का कार्य।	2000/-	रू.2,50,850/-	रू.5,100/-	06.02.26 5.30बजे	1)12.02.26 5.30 बजे 2) लो.नि.वि. वि./यां. सं. इंदौर	1)13.02.26 प्रातः11:00 बजे 2) लो.नि.वि. वि./यां.सं. इंदौर	1) 60 दिन 2) लो.नि.वि. में पंजीकृत ठेकेदार धारी 3) प्रथम आमंत्रण
	कुल राशि रू.		रू.2,50,850/-					

टीप:- 01 निविदा सूचना की विस्तृत शर्ते कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है।

G25220/25

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि.वि / यां संभाग, इंदौर

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग लोवर परेल, मुम्बई-400013.
शाखा कार्यालय : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस, तीसरी मंजिल, यूनिट 301, एनआरके टेक पार्क, प्लॉट नंबर 94, रिंग रोड, रेडिसन स्क्वायर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश 452010

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु 15 दिवसीय ई-नीलामी सूचना

एतद्द्वारा सर्व सामान्य और विशेषकर अधोलिखित कर्जदार और/सह-कर्जदार या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएचएफएल), को बंधक अधोल्लिखित अचल संपत्ति जिसका टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया, अधोलिखित कर्जदार और सह-कर्जदार से कुल बकाया राशि की वसूली के लिए **'जो है जहाँ है' और 'जहाँ है, जैसा भी है' और 'जो भी हैं'** आधार पर दिनांक **20-02-2026** को बिक्री की जायेंगी। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा निम्न वर्णित हैं। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के किसी स्थगन / बाधा के अभाव में उक्त संपत्ति ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक **20-02-2026** को दोपहर **2:00** बजे बिक्री की जायेगी। संपत्ति खरीद के लिए मुहरबंद ई-नीलामी हेतु ईएमडी राशि का डिमांड डाफ्ट टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक **19-02-2026** को समय सायं **5.00** बजे तक शाखा कार्यालय : **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड**, 9/1/1, सूरज भवन, द्वितीय तल, यस बैंक के ऊपर, एम. जी. रोड़, इंदौर-452001 पर जमा किया जाना चाहिए। प्रत्याभूत संपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसी है जहाँ है शर्त' निम्न अनुसूची में उल्लिखित संक्षेप विवरणों के अनुसार होगी।

क्रं	ऋण खाता क्रं.	ऋणी(यों)/सह-ऋणी(यों)/ कानूनी वारिस(सों)/ जमानतदा(रों) के नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि एवं मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य	बकाया राशि
1	TCHHF064 300010025 0224	श्रीमती मंजू राठौड़ श्री राकेश राठौड़	Rs. 10,88,302/- 10-07-2024	Rs. 14,00,000/- अग्रिम जमा राशि (ईएमडी)- Rs.1,40,000/- कब्जे का प्रकार - भौतिक	Rs. 1483232/- 24-01-2026

अचल संपत्ति का विवरण:- उक्त अचल संपत्ति का संपूर्ण एवं शेष भाग मकान नं. 120, गरबा चौक, ग्राम शिवगढ़, तहसील सैलाना, जिला रतलाम 47001, उक्त मकान का भूतल ऊपर आरसीसी से बना है। कुल क्षेत्रफल 445.73 वर्ग फुट या (41.42 वर्ग मीटर) है। **चर्तुसीमा:** पूर्व : निकास एवं सड़क, पश्चिम: रामरतन का मकान, उत्तर: शांतिबाई का मकान, दक्षिण: गली

नीलामी में, आम जनता को व्यक्तिगत रूप से अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालाँकि, इस बिक्री के संबंध में कोई भी कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बेची गई अचल संपत्ति में कोई भी हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा, प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।

बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी:

कृपया ध्यान दें: ई-नीलामी पोर्टल https://auctionbazaar.com के माध्यम से दिनांक 20-02-2026 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच प्रत्येक 5 मिनट अवधि के असीमित विस्तार के साथ होगी।

नियम और शर्ते : 1. अनुसूची में दिया विवरण अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण ज्ञान व जानकारी में दिया गया है, किंतु इस उदघोषणा अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटी, गलती या चूक के लिए अधोहस्ताक्षरी जवाबदेय नहीं होगा। बोली राशि या निविदाकार संबंधी किसी विवाद की स्थिति में अचल संपत्ति को दुबारा नीलामी के लिए रखा जायेगा। 2. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि: **रु.10,000/- (दस हजार मात्र)** 4. संपत्ति की खरीद के लिए सभी निविदाएँ **'टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'** के पक्ष में और उपरोक्त शाखाओं में देय डिमांडड्राफ्ट के साथ जमा की जाएं। असफल निविदाकारों के डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जायेंगे। आरटीजीएस/ एनईएफटी/ आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। 5. उच्चतम बोलीकारी को संबंधित लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, बशर्ते वह विधिक रूप से बोली लगाने के लिए योग्य हो और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जब उसे लगे कि पेशकश मूल्य स्पष्टरूप से अपर्याप्त है। 6. उपलब्ध कारणों से 'प्राधिकृत अधिकारी ' को अपने विवेक से बिक्री को स्थगित / रोकने का अधिकार होगा। 7. संपत्ति की निरीक्षण दिनांक **12-02-2026** को **सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे** तक किया जा सकेगा। 8. खरीददार घोषित व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि जिसमें ईएमडी राशि शामिल होगी प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के अंदर जमा करनी होगी, यह राशि जमा न किए जाने की स्थिति में संपत्ति नई नीलामी/निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। 9. उपरोक्त अनुसार प्रारंभिक राशि जमा कर दिए जाने पर क्रय राशि की शेष राशि संपत्ति की बिक्री की पुष्टि होने की तारीख से 15 दिनों तक खरीदार द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी को जमा करनी होगी, यदि 15वें दिन कोई रविवार या अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस को जमा करनी होगी। 10. उपरोक्तानुसार भुगतान न होने पर संपत्ति नई नीलामी / निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। सभी जमा राशि टाटा कैपीटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास जब्त हो जायेगी और चूककर्ता खरीदारें संपत्ति पर अपने सभी दावे खो देगा। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि. को ज्ञात ऋणभारों जिनके लिए संपत्ति देनदार है का विवरण-कोई नहीं, दावे, यदि कोई हों, जो संपत्ति के लिए प्रस्तुत किए गए हों और इसकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण: उपरोक्त तालिका के अनुसार। उपरोक्त अनुसूची के विवरण अनुसार इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वहां के संपत्ति कर, बिजली आदि के सांविधिक देनदारियों क्षेत्रों सहित संपत्ति पर ऋण भार के बारे में स्वयं जांच करें। **12. अन्य किसी विवरण के लिए अथवा ई-नीलामी पर प्रक्रिया ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता, अर्का ईमार्ट प्रायवेट लिमिटेड, 6-3-1090/1/1, दूसरी मंजिल, पार्ट बी, उमा हैदराबाद हाउस, राजभवन रोड़, सोमाजीगुडा, हैदराबाद 500082, ई-मेल आईडी : contact@auctionbazaar.com / support@auctionbazaar.com के माध्यम से अथवा मनीष बंसल, ईमेल आईडी manish.Bansal@tatacapital.com प्राधिकृत अधिकारी, मोबाइल नंबर 8588983696 पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9999078669 पर भेजें ।** 13. उच्चतम घोषित बोली राशि पर उच्चतम बोली दाता द्वारा 1% का टीडीएस लागू और देय होगा। भुगतान उच्चतम बोलीदाता द्वारा मालिक/उधारकर्ता (ओं) के पैन में जमा करना आवश्यक है और चालान की प्रति हमारी कंपनी को प्रस्तुत की जाएगी। 14. उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रदान की गई प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट **https://surl.li/yzlpku** का संदर्भ लें। 15. कृपया इस लिंक पर भी जाएं : **https://www.tatacapital.com/property-disposal.html**

कृपया ध्यान दें: टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी दलाल / एजेंट को नहीं लगाया है। इच्छुक पक्षों को इस मामले में सभी प्रश्नों और जांच के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

ह/-
(प्राधिकृत अधिकारी)
स्थान : इन्दौर (म.प्र.) **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि.**
दिनांक : 03-02-2026

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069.
इंदौर शाखा: प्लॉट नंबर 4 एवं 5, शॉप नंबर 105,107,109, प्रथम मंजिल, शेखर सेंट्रल, पलासिया चौराहा, मनोरमागंज, ए.बी. रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश -452001

ई-नीलामी - बिक्री सूचना

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। इसके द्वारा सामान्य रुप से सर्वसाधाण को और विशेष रुप से ऋणी(यों) एवं जमानतदार(ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका कब्जा आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है', और 'जो कुछ भी है'** बिना किसी ज्ञात बाधा के आधार पर विक्रय किया जाएगा जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रं.	ऋणी(यो)/सह ऋणी(यो) /जमानतदार	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (RP)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (RP का 10%)	कब्जे का प्रकार
1.	(लोन कोड नं. 00300004410/ इंदौर शाखा) बाबूलाल (ऋणी) ज्योति चौहान (सह-ऋणी)	06-11-2025 & ₹ 4,21,785/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सर्वे नंबर 53/1 प्राइवेट प्लॉट नंबर 53 पटवारी हल्का नंबर 13 अनुकंपा नगर वार्ड नंबर 18 ग्राम रेवती, इंदौर, मध्य प्रदेश,452001. **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - प्लॉट नंबर 44, पश्चिम - सड़क, उत्तर - प्लॉट नंबर 52, दक्षिण - प्लॉट नंबर 54	Rs. 12,00,000/-	Rs. 1,20,000/-	भौतिक

1. केवाईसी, निविदा प्रपत्र एवं स्वीकृत नियम एवं शर्तों (निविदा दस्तावेज) के साथ बयाना राशि का डीडी जमा करने की अंतिम तिथि **09-03-2026 शाम 5:00 बजे** तक ऊपर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर या **https://bankeauctions.com** पर अपलोड की गई है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदा दस्तावेजों को अमान्य निविदा माना जाएगा और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 2. संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव (नीलामी तिथि) खोलने की तिथि **10-03-2026 दोप. 3:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक https://bankeauctions.com** पर है। 3. जैसा कि ऊपर बताया गया है, एएचएफएल संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो है वह है' के आधार पर** की जाएगी। 4. डिमांड ड्राफ्ट केवल 'आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में बनाया जाना चाहिए। 5. नीलामी/बोली केवल वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से 'ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली' के माध्यम से होगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट देखें। 6. इच्छुक बोलीदाताओं को **https://bankeauctions.com/registration/ signup**, लिंक के माध्यम से पोर्टल मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए, और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ई-नीलामी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। 7. अधिक जानकारी के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, **दीपक मालवीया, (संपर्क नंबर 7583898990)** या सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, **श्री प्रभाकरन, मोबाईल नं. +91-74182-81709, ई-मेल: tn@c1india.com & support@bankeauctions.com**, फोन नं. **+917291981124 /25 /26** से संपर्क करें। आज तक, एएचएफएल/ एएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने, हस्तांतरित करने और/या निपटान करने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है। 8. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एएचएफएल), सुरक्षित ऋ णदाता की वेबसाइट यानी **www.aadharhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें। 9. नीलामी के लिए बोली वृद्धिशील राशि **रु. 10,000/-** है। 10. यह समाचार पत्र प्रकाशन एवं इसमें निहित डेटा आम जनता के प्रसार के लिए है। इस सामग्री का किसी भी रुप में या किसी भी माध्यम से, चाहे प्रिंट, डिजिटल, किसी भी रुप में इलेक्ट्रानिक प्रकाशन, ईमेल या वेब प्रकाशन, या किसी भी अन्य माध्यम से, संपूर्ण या आंशिक रुप से किसी भी तरह से पुनरुत्पादन, वितरण, प्रसारण या पुनर्प्रकाशन सख्त वर्जित है। किसी भी माध्यम से उपरोक्त सामग्री के किसी भी अनधिकृत उपयोग के परिणामस्वरुप AHFL द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान : मध्यप्रदेश **सही/- प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 03-02-2026 **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069.
उज्जैन शाखा: 06/ प्रथम मंजिल, कमला नेहरु मार्ग, फ्रीगंज, आईडीबीआई बैंक के उ पर, शहीद पार्क के पास, उज्जैन-4560010
प्राधिकृत अधिकारी : दिपक मालवीय, संपर्क : 7583898990

निजी संधि के माध्यम से सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत संपत्ति की बिक्री के हेतु सूचना

चूँकि आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL) के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। और चूँकि प्राधिकृत अधिकारी ने पहले ई-नीलामी नोटिस जारी किए थे लेकिन कोई सफल बोलीकर्ता को आकर्षित नहीं कर सका, और अब उसने नीचे दी गई सुरक्षित संपत्ति को निजी समझौते के माध्यम से विक्रय करने का फैसला किया है। प्राधिकृत अधिकारी को इस संबंध में कुछ इच्छुक व्यक्तियों से सुरक्षित संपत्ति की खरीद के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्राधिकृत अधिकारी एतद्द्वारा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 एवं 9 के संदर्भ में उपरोक्त संपत्ति की निजी समझौते के माध्यम से बिक्री के लिए आम तौर पर उधारकर्ताओं को यह नोटिस दे रहा है। खाते का विवरण इस प्रकार है:

क्रं.	लोन कोड नं./ शाखा	ऋणी/सह-ऋणी का नाम	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	आरक्षित मूल्य (RP)	कुल बकाया ऋण राशि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण
1.	(लोन कोड नं. 02010000655 / उज्जैन शाखा)	मनोज जैन (ऋणी) विनिता जैन (सह-ऋणी)	12-05-2025 & ₹ 10,45,921/-	₹ 5,00,000/-	₹ 12,17,980/- दिनांक 27-01-2026	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग,फ्लैट नं. 508, पाँचवी मंजिल सिल्वर बी ओम साई ओम मल्टी फ्लैटेड टाउनशिप, सांवेर रोड , वार्ड नं. 47, उज्जैन मध्यप्रदेश-456010 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- टाउनशिप का खुला क्षेत्र, पश्चिम- फ्लैट नं. 507, उत्तर- टाउनशिप का खुला क्षेत्र, दक्षिण- कॉरिडोर
2.	(लोन कोड नं. 02010000955/ उज्जैन शाखा)	अशोक डोडिया (ऋणी) राजू डोडिया (सह-ऋणी)	12-05-2025 & ₹ 3,48,035/-	₹ 3,50,000/-	₹ 4,24,419/- दिनांक 27-01-2026	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, जीएफ एवं एफएफ वेंकेटेश्वर धाम से ज्ञात, मक्सी रोड, पनवासा वार्ड नं. 40, प्लॉट नं. बी-10, उज्जैन, मध्यप्रदेश-456010 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- प्लॉट नं. बी-11 , पश्चिम- प्लॉट नं. बी-9, उत्तर- कॉलोनी रोड, दक्षिण- अन्य मकान

यह सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत 15 दिन का बिक्री नोटिस जो उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता एवं जमानतदार को दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है और जिसका भौतिक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे 'जैसा है जहाँ है', 'जैसी है वैसी है', और 'जो भी है' के आधार पर निजी समझौते के माध्यम से बेचा जाएगा, ताकि आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को देय राशि की वसूली की जा सके।

यदि उधारकर्ता(ओं), सह-उधारकर्ता(ओं) के पास कोई ऐसा खरीदार है जो दी गई आरक्षित मूल्य से अधिक कीमत पर सुरक्षित संपत्ति खरीदने के लिए तैयार है, तो उधारकर्ता(ओं), सह-उधारकर्ता(ओं) को **23-02-2026** से एक दिन पहले AHFL को सूचित करना होगा, जिसके बाद AHFL उस खरीदार को वरीयता देगा। यदि उधारकर्ता(ओं), सह-उधारकर्ता(ओं) **23-02-2026** से एक दिन पहले सूचित करने में विफल रहते हैं, तो AHFL ऊपर दिए गए आरक्षित मूल्य पर संपत्ति की बिक्री के लिए आगे बढ़ेगा। यह संपत्ति AHFL को ज्ञात या अज्ञात, सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाए के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। क्रेता को अपनी संतुष्टि के लिए संपत्ति (निजी समझौते के माध्यम से बिक्री के तहत) से संबंधित सभी पहलुओं पर उचित जांच पड़ताल करनी चाहिए। क्रेता बाद की तारीख में इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार के खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।

विक्रय की दिनांक 23-02-2026 तय की गई है।

सही/- प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : मध्यप्रदेश, दिनांक : 03-02-2026 **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

आज का इतिहास

1760 - सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना ने उदगीर के युद्ध में निजाम को बुरी तरह हराया।
1815 - विश्व में पनीर उत्पादन का पहला कारखाना स्विटजरलैंड में खोला गया।
1916- बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की शुरुआत।
1925 - भारत की पहली बिजली संचालित ट्रेन सेवा मुम्बई से कुर्ला के बीच शुरू।
1934 - पहली बार हवाई जहाजों से पार्सल भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। जो लुफ्थांसा के नाम से जाना जाता है।

NAME CHANGE

I FATEMA MURTAZA RAMPURAWALA D/O MURTAZA HERE BY DECLARE THAT I HAVE CHANGE MY NAME AS FATEMA RAMPURAWALA D/O MURTAZA RAMPURAWALA SO FROM NOW AND IN FUTURE I WILL BE KNOWN BY MY NEW NAME FATEMA RAMPURAWALA D/O MURTAZA RAMPURAWAL
AADD: HOUSE NO 117, BURHANI MASKAN WARD NO 05 BOHRA GALI SITAMAU DIST MANDSAUR